अध्याय–3
प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

3.1 छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त आयोग का गठन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.08.2003 को किया गया था। आयोग ने मई 2007 में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि उसकी अनुशंसाओं को 1 अप्रैल 2007 से प्रभावशील किया जाये। हालांकि इन अनुशंसाओं को वर्ष 2007–08 से प्रभावशील माना गया, परन्तु राज्य सरकार ने जुलाई 2009 में कृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक म0प्र0 के प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को कोष का हस्तांतरण जारी रखा।

3.2 प्रथम राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि उसकी (अधिनिर्णय अवधि) अवार्ड अवधि 2007–12 में राज्य के स्वयं के राजस्व का 8.287% अंश स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाये परन्तु राज्य सरकार ने केवल 6% अंश अन्तरित करना स्वीकार किया। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने कुल 81 अनुशंसायें की थी। इनमें से केवल 36 अनुशंसाओं को राज्य सरकार ने स्वीकार किया। 5 अनुशंसायें कुछ संशोधन के साथ स्वीकार की गई। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2009 को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के अनुसार अनुशंसाओं की स्थिति **तालिका 3.1** में दर्शायी गई है –

तलिका 3.1

अनुशंसाओं की स्थिति

क्रमांक	अनुशंसा में	कुल संख्या	अनुशंसाओं की स्थिति			
	ग्रामीण स्थानीय निकाय/ शहरी स्थानीय निकाय/ राज्य सरकार		स्वीकृत	संशोधन के साथ स्वीकृत	निरस्त	के.वि आयोग/ केन्द्र सरकार को सन्दर्भित
(क)	**ग्रामीण स्थानीय निकाय**					
1.	अन्तरण	4	–	1	1	2
2.	सौंपा गया राजस्व	10	1	–	9	–
3.	आंतरिक स्त्रोत दोहन	18	10	–	8	–
4.	गैर राजकोषीय अनुशंसायें	12	5	–	7	–

	कुल ग्रामीण स्थानीय निकाय	44	16	1	26	2
(ख)	**शहरी स्थानीय निकाय**					
1.	अन्तरण	6	1	4	1	–
2.	राजकोषीय–नीतिगत	4	3	–	1	–
3.	गैर राजकोषीय अनुशंसायें	19	15	–	4	–
4.	केन्द्र सरकार	8	–	–	–	8
	कुल शहरी स्था0 निकाय	37	19	4	7	8
	कुल स्थानीय निकाय	81	36	5	33	10

अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति :

पंचायती राज संस्थायें

3.3 राजस्व अन्तरण

(ii) आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य सरकार के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6% अंश ग्रामीण स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाये। राज्य सरकार ने अपने **शुद्ध कर राजस्व का 4.79% अंश ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित करना स्वीकार किया।** राज्य शासन ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिये ग्राम निर्माण, ग्राम गौरव, ग्राम विकास और ग्राम उत्कर्ष जैसी योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही धन राशि इसी अन्तरित राशि में शामिल रहेगी। धन राशि के वर्षवार हस्तांतरण का विवरण अधोलिखित **तालिका 3.2** और **3.3** में दिया गया है :–

तालिका 3.2

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरित राशि और हस्तांतरित निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	पंचा.रा.सं. को देय राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 4.79%	ग्राम उत्कर्ष	ग्राम निर्माण	ग्राम गौरव	ग्राम विकास	मूलभूत अनुदान	कुल	पंचा.संस्थाओं को हस्तांतरित की जाने योग्य शुद्ध राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2007–08	235.69	16.00	72.00	10.26	1.96	116.02	216.24	19.15
2008–09	269.06	30.00	38.00	20.00	18.50	130.00	236.50	32.26
2009–10	293.10	16.63	38.00	20.00	18.60	130.00	223.13	69.97
2010–11	377.98	75.00	15.00	15.00	15.00	150.00	270.00	107.98
2011–12	444.93	105.00	25.00	25.00	25.00	150.00	330.00	114.93
योग	**1620.76**	**242.63**	**188.00**	**90.26**	**78.96**	**676.02**	**1275.87**	**344.29**

स्त्रोत :–वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व भागीदारी अन्तरण योजना के अन्तर्गत योजना और गैर योजना कार्यक्रमों के जरिये पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा सहमत राशि।

राज्य सरकार का दावा है कि उसने उक्त **तालिका 3.2** के कालम 9 में दर्शित रु. 344.29 करोड़ की जो राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिये सहमति प्रदान की है, उसने इन संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उक्त राशि से अधिक राशि हस्तांतरित की है। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के मध्य 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत रु. 434.97 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई, जिसका विवरण अधोलिखित **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 3.3

पंचायती राज संस्थाओं को योजना और गैर योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत हस्तांतरित राशि

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	राशि (रु.)
1.	जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन अनुदान	3.96
2.	पंचायतों के पदाधिकारियों को मानदेय	32.48
3.	पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण	2.80
4.	सचिवीय व्यवस्था (पंचा.सचिवों को वेतन)	156.70
5.	त्रिस्तरीय पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को पुरस्कार)	1.89
6.	जिला पंच सम्मेलन	2.55
7.	पंचायत गजट	0.31
8.	पंचा.राज संस्थाओं से सम्बन्धित चार्जेस	234.28
	कुल–योग	**434.97**

स्त्रोत :– वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार

(ii) आयोग ने वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ करके राज्य के पंचायत राज संस्थाओं को प्रतिवर्ष (ग्राम–पंचायत को प्रति व्यक्ति रु. 90.00, जनपद पंचायत को प्रति व्यक्ति रु. 8.00 तथा जिला पंचायतों को प्रति व्यक्ति रु. 2.00 की दर से) रु. 166.48 करोड़ का प्रति व्यक्ति सामान्य अनुदान देने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार ने यह विषय वित्तीय सहायता के लिये 13 वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था, परन्तु इसे वहां प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

(iii) आयोग ने अनुशंसा की थी कि केन्द्र पोषित योजनाओं सहित राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों की योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिये पंचायतों को कुल योजना लागत के 3% के समतुल्य राशि अभिकर्ता कमीशन के रूप में दी जाये। राज्य सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं के लिये वर्तमान में दिये जा रहे अभिकर्ता अनुदान को यथावत रखने तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के सन्दर्भ में योजना लागत के 3% के समतुल्य राशि अभिकर्ता अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। परन्तु यह प्रस्ताव 13 वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

(iv) आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को रु. 71.81 करोड़ का स्थापना अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार ने इस अनुशंसा को अमान्य कर दिया।

3.4 समनुदेशित राजस्व (सौंपा गया राजस्व)

आयोग ने सौंपे गये राजस्व के सम्बन्ध में 10 अनुशंसायें की थी। राज्य सरकार ने इनमें से एक अनुशंसा को स्वीकार किया और शेष 9 अनुशंसायें अमान्य कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई एक मात्र अनुशंसा यह है कि राज्य शासन द्वारा शासित मनोरंजन शुल्क का 90% भाग 2:1 के अनुपात से शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किया जाये। पंचायती राज संस्थाओं को इस मद से उनका अंश मनोरंजन कर अनुदान के रूप में वर्ष 2010–11 से दिया जा रहा है। इस मद में वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः रु. 5.35 करोड़ और रु. 1.90 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इस मद में इन दो वर्षो में हस्तांतरित कुल राशि रु. 7.25 करोड़ है।

3.5 पंचायतों द्वारा आन्तरिक राजस्व संग्रहण

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त विषय पर आयोग द्वारा दी गई कुछ अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया है। मान्य की गई अनुशंसाओं में वर्गीकृत कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिंथ एरिया) के

आधार पर सम्पत्ति कर का निर्धारण और ग्राम पंचायतों को गैर चलचित्रीय प्रदर्शनों पर थियेटर शुल्क लगाने का अधिकार शामिल है।

3.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दिनांक 16 दिसम्बर 2011 के अपने आदेश संख्या 76 के द्वारा एक समिति का गठन करके उपर्युक्त सभी अनुशंसायें विचार करने के लिये उसे सौंप दी है। समिति का प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है। इस समिति के महत्व के परिप्रेक्ष्य में नवम्बर, 2012 में प्रस्तुत अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में **राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस समिति को गतिशील बनाये और उसे तीन माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहे।**

3.7 आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि यदि जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार से अपने अधिकार वाले क्षेत्र में उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) पर 10% दर पर अधिभार लगाये जाने का अनुरोध करें तो राज्य सरकार अपरिहार्य रूप से यह अधिभार लगाये तथा विशिष्ट क्षेत्र में मुख्य शुल्क के साथ ही "अधिभार" की भी उगाही करे। इस अनुशंसा के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर उत्पाद शुल्क पर अधिभार लगाया जायेगा। राज्य सरकार इसकी उगाही करके जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को उनके क्षेत्र में हुई उगाही के आधार पर हस्तांतरित कर देगी।

राजकोष से भिन्न अनुशंसायें

3.8 राज्य सरकार ने निम्नलिखित पांच अनुशसाओं को स्वीकार किया है :–

क्रमांक	स्वीकृत अनुशंसा	पंचायत विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1.	पंचायतों का "आन्तरिक अंकेक्षण" करने वाले "पंचायत अंकेक्षण" का पद नाम "पंचायत आन्तरिक अंकेक्षक" किया जाये।	इस पर कार्यवाही चल रही है।
2.	विभिन्न स्तरों की पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण कार्य से संलग्न सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लेखा के क्षेत्र में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाये।	निमोरा स्थित पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है।
3.	स्थानीय निधि सम्परीक्षकों के द्वारा पंचायतों के असम्परीक्षित लेखों के अंकेक्षणोत्तर (Post Audit) कार्य को पूरा करने के लिये समय बद्ध विशेष	स्थानीय निधि सम्परीक्षा विभाग को लेखा परीक्षण का कार्य सौंप दिया गया है। आंतरिक अंकेक्षण के लिये कार्य

	अभियान चलाया जाये।	योजना बना ली गई है।
4.	शक्तियों, प्राधिकारों और कोष समर्थन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को गति प्रदान किया जाना।	शक्तियों के हस्तांतरण पर कार्यवाही चल रही है।
5.	वर्तमान कानूनी उपबन्धों, कार्यपालन नियमों तथा साथ ही साथ पंचायतों की कार्य विधि की समीक्षा एवं उनमें संशोधन	वर्तमान् नियमों का परीक्षण करने के लिये दिनांक 16.12.2011 के आदेश संख्या 76 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति : नगरीय स्थानीय निकाय

1. राजस्व–अन्तरण

3.9 आयोग की अनुशंसा एवं राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

क्रमांक	आयोग की अनुशंसा	राज्य सरकार की कार्यवाही
1.	(क) राज्य के शुद्ध कर राजस्व के 1.659% अंश का नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरण	**सरकार ने राज्य के शुद्ध कर राजस्व से वर्ष 2007–08 से 1.21% भाग देना स्वीकार किया।** इसमें नगरीय स्थानीय निकायों को दी जा रही अधोसंरचनात्यक विकास की अनुदान की राशि समायोजित की जायेगी।
2.	राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के बीच आबंटन का मापदण्ड भार **मापदण्ड** — **भार** 1. जन संख्या — 80% 2. क्षेत्रफल — 10% 3. गन्दी बस्ती — 10%	शहरी निकायों के मध्य आबंटन के संशोधित मापदण्ड अपनाने का निर्णय **मापदण्ड** — **भार** 1.जन संख्या — 70% 2. क्षेत्रफल — 10% 3. गन्दी बस्ती — 10% 4. राजस्व प्रयास — 10%
3.	अधिनिर्णय अवधि के प्रथम वर्ष में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को सामान्य उद्देशीय अनुदान के रूप में रु. 16 करोड़ का आबंटन और प्रतिवर्ष इसमें रु. 1 करोड़ की वृद्धि	विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 से शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को प्रति वर्ष रु. 8 करोड़ का संवितरण किया जा रहा है।
4.	कुछ करों के एवज में क्षतिपूर्ति तथा सौंपे गये राजस्व के रूप में राज्य सरकार के द्वारा किये	सौंपे गये राजस्व तथा कतिपय करों की क्षतिपूर्ति के लिये राजस्व के वास्तविक

	जाने वाले हस्तांतरणों में 15% वार्षिक वृद्धि तथा चुंगी क्षतिपूर्ति में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की राशि में प्रवेश कर में वृद्धि दर के आधार पर वृद्धि	संग्रहण के आधार पर अन्तरण राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग ने वर्ष 2011–12 के बजट में इस हेतु रु. 405 करोड़ का प्रावधान करना स्वीकार किया है।
5.	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के मध्य 2:1 के अनुपात से मनोरंजन शुल्क का वितरण	स्वीकृत तदनुसार शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों का 67% भाग रु. 10.59 करोड़ होता है। पूरक बजट में इसका प्रावधान किया गया। वर्ष 2010–11 में इसके लिये रु. 9.25 करोड़ का प्रावधान था।
6.	इस समय प्रतिवर्ष रु. 8 करोड़ की जो राशि यात्री कर की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है, वह अब सामान्य उद्देशीय अनुदान के रूप में दी जाये।	स्वीकृत राज्य के वर्ष 2011–12 के बजट में सामान्य उद्देशीय अनुदान के रूप में रु. 8 करोड़ का प्रावधान किया गया।

3.10 राज्य सरकार ने वर्ष 2007–08 से राज्य के शुद्ध कर राजस्व से 1.21% अंश अन्तरित करने का निर्णय लिया। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 की पाँच वर्षों की अवधि के लिये स्वीकृत की गई यह राशि रु. 405.05 करोड़ होती है। इन वर्षों में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से हस्तांतरित राशि की मात्रा रु. 648.10 करोड़ थी। इसका वर्ष वार विवरण **तालिका संख्या 3.5** में दिया गया है :–

तालिका संख्या 3.5

शहरी निकायों को हस्तांतरित राशि

(राशि–करोड़ रूपयों में)

वर्ष	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की राशि	राज्य के स्वयं के शुद्ध निजी कर राजस्व की 1.21% देय राशि	हस्तांतरित की गई वास्तविक राशि
2007–08	4903.91	58.85	48.93
2008–09	5599.21	67.19	207.61
2009–10	6106.29	73.28	54.22
2010–11	7874.62	94.50	142.05
2011–12	9269.29	111.23	195.40
कुल योग	33,753.32	405.05	648.1

वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक शहरी क्षेत्र के निकायों को हस्तान्तरित की गई राशि का मदवार विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है :–

तालिका 3.6

शहरी निकायों को मदवार हस्तांतरित राशि

क्रमांक	मद का नाम	राशि (करोड़ रू0 में)
1.	शहरी अधोसंरचना अनुदान	340.91
2.	मूलभूत सुविधा अनुदान	205.69
3.	विशेष उद्देश्यीय अनुदान	58.60
4.	पेय जल एवं स्वच्छता अनुदान	29.68
5.	जल प्रदाय व्यवस्था अनुरक्षण अनुदान	5.39
6.	शहरी क्षेत्रों के निम्न आय वर्ग जन का सामूहिक बीमा	3.48
7.	पुनर्वास पर्यावरण	4.05
8.	श.स्था.नि.के. निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	0.41
	कुल योग	648.21

राजकोषीय नीति

3.11 *आयोग की अनुशंसायें और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण* निम्नानुसार है :–

क्रमांक	आयोग की अनुशंसा	कृत कार्यवाही
1.	अनुदान राशि का वितरण सुपरिभाषित नीति के अनुसार किया जाये।	अनुशंसा स्वीकृत शहरी प्रशा. विकास विभाग ने अन्तरण फार्मूला के क्रियान्वयनके लिये पत्र संख्या 1158/862/18/10 दिनांक 06.03.2010 जारी किया।
2.	सहायता अनुदान को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जाये और अनुदान के उपयोग की पुनरीक्षण एवं मानीटरिंग के लिये समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाये।	शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के सुव्यवस्थित वर्गीकरण के लिये 2011–12 के पूरक बजट से प्रावधान किया गया है। इस अनुशंसा के क्रियान्वयनके लिये शहरी प्रशा0 विभाग ने पत्र संख्या 1413/3056/2009/18 जारी किया है।
3.	राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों	सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था को

	को सहायता अनुदान एवं कुछ बंद किये गये करों के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में दो तरह से रकम का हस्तांतरण किया जाता है। हस्तांतरण के इन दोनों रूपों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ा न जाये।	जारी रखने का निर्णय लिया।
4.	राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण की व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी एवं सोद्देश्य होना चाहिए।	स्वीकृत शहरी प्रशा. एवं विकास संचालनालय ने शहरी निकायों को ई0 ट्रांसफर के जरिये उनके बैंक खातों में बजट आबंटन भेजना शुरू कर दिया है। ये निकाय इस राशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजनों के लिये कर रहे हैं।

गैर राजकोषीय से भिन्न अनुशंसायें

3.12 आयोग ने कुल 19 अनुशंसायें की थी, जिनमें से 15 अनुशंसाओं को राज्य सरकार ने स्वीकार किया। सम्बन्धित विभागों को इन पर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। ये अनुशंसायें हैं :–

क्रमांक	अनुशंसा	कृत कार्यवाही /अनुपालन
1.	राज्य के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के स्थानीय निकायों के कृत्यों और कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में एक अध्याय जोड़ा जाये।	स्वीकृत। एतत् विषयक अध्याय जोड़ा जाने लगा है।
2.	भविष्य में विश्वसनीय आंकड़े और लेखा विवरण पाने के लिये तकनीक विकसित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किये जायें।	इसके लिये 01.04.2008 से द्वि प्रविष्टि प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है। 01.01.2010 से 10 समूहों में चार्टर्ड एकाउटेंट नियुक्त किये गये हैं। कार्य प्रगति पर है।
3.	चार्टर्ड एकाउटेंट और महालेखाकार के मार्ग दर्शन में लेखा प्रणाली में सुधार किये जाये तथा संचालक, स्थानीय विधि सम्परीक्षा शहरी स्थानीय निकायों को बजट तैयार करने के लिये "फार्मेट" प्रदान करें।	चार्टर्ड एकाउटेंट के परामर्श के अनुसार लेखा की द्वि प्रविष्टि प्रणाली लागू करके लेखा प्रणाली में सुधार प्रारम्भ कर दिया गया है।
4.	शहरी विकास एवं प्रशासन संचालनालय को विशेषज्ञता की दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाये।	इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों से समय–समय पर परामर्श लिया जाता है।
5.	भारत सरकार ने शहरी सुधार कदमों के साथ शर्तें लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के पूर्व राज्य सरकार को इन शर्तों का पुनरीक्षण करना चाहिये।	इन सुधारात्मक कार्यक्रमों को उनके साथ संबद्ध शर्तों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
6.	म्युनिसिपल गवर्नेंस, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण, संसाधन विकास तथा अधिकारियों के	अनुशंसित क्षेत्रों में शहरी स्था. निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय–समय पर

	साथ सम्बन्धों के मामलों में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
7.	शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को अपने ढांचागत लागत के अनुपात में बिजली बिलों में शुल्क लगाना चाहिये। राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग से इन निकायों का शुल्क निर्धारित करने का अनुरोध करें।	इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है।
8.	नगरीय स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों और आस्तियों की सूची बनाई जाये तथा प्रति वर्ष उसे अद्यतन किया जाये।	चार्टर्ड एकाउटेंट के मार्ग दर्शन में यह कार्य किया जा रहा है।
9.	नगर पालिका के कार्य प्रचालन और अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	नगरी प्रशासन एवं विकास संचालनालय में नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में एक "डाटा सेन्टर" बनाया गया है। नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
10.	नगरपालिका सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी की अभिवृद्धि की सम्भावनायें खोजी जायें	अधोसंरचना विकास, नागरिक सेवा पार्कों के रख रखाव आदि जैसे क्षेत्रों में पी0पी0पी0 माडल अपनाया गया है। अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के लिये प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को राज्य शासन ने स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों को राज्य की प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3.13 निम्नलिखित अनुशंसाओं के बारे में यह निर्णय लिया गया कि इनके सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजने के पूर्व सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को सक्षम स्तर पर विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं :–

	अनुशंसा	विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही
1.	एक लाख से अधिक की आबादी वाले नगरीय निकायों में सुनिश्चत कार्यों के लिये वार्ड समितियों का गठन	छ0ग0 नगर निगम अधिनियम की धारा 48 (क) के उपबन्ध के अनुसार 3 लाख की आबादी वाले 3 नगर निगमों में वार्ड समितियां गठित की जा चुकी है। 1 से 3

		लाख की आबादी वाले निगमो में वार्ड समितियों के गठन का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
2.	राज्य के नगरीय निकायों द्वारा लिये जाने वाले जल कर की दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा करने के लिये विद्युत नियामक आयोग के समान नियामक आयोग का गठन	छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर राजस्व (नियामक प्राधिकरण) अधिनियम, 2011 पारित किया जा चुका है।
3.	शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को नये कर लगाने का अधिकार	छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर राजस्व नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2011 पारित किया जा चुका है। इसी बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निम्नलिखित मदों से शुल्क एवं कर की दरों में वृद्धि किये जाने के लिये अधिसूचना जारी की है :– (1) आवासीय एवं वाणिज्यिक बहुमंजिला इमारतों में जल कर की दरों में वृद्धि (2) मोबाईल टावर पर शुल्क (3) ए.टी.एम. मशीन लगाने पर शुल्क (4) विज्ञापनों की होर्डिंग पर शुल्क (5) कोलोनाइजरों का पंजीयन शुल्क

अनुशंसायें जिन पर केन्द्र सरकार का ध्यान अपेक्षित है :–

3.14 राज्य सरकार ने उपरोक्त श्रेणी की सभी अनुशंसाओं को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये केन्द्र सरकार को अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। इन अनुशंसाओं का सारांश निम्नानुसार है– केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय करों की सूची का समावेश, केन्द्र सरकार की परिसम्पत्तियों को नगरीय स्थानीय निकायों की सम्पत्ति कर के दायरे में लाया जाना, शहरी क्षेत्रों की केन्द्र पोषित योजनाओं के लिये शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को एजेंसी

कमीशन के रूप में परियोजना लागत की 3% समतुल्य राशि का भुगतान, स्थानीय निकायों को भरोसे के योग्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिये कोष उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान का गठन इत्यादि। ये प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजे गये हैं।

प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का राज्य की वित्त व्यवस्था पर प्रभाव

3.15 प्रथम वित्त आयोग की पांच वर्षीय अधिनिर्णय अवधि (वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12) में राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6% लगभग रूपये 2025.25 करोड़ होता है। राज्य की पंचायती राज संस्थायें इस राशि में से 4.79% के हिसाब से रु. 1620.16 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकाय 1.21% के हिसाब से रु. 405.04 करोड़ पाने के हकदार हैं। राज्य के वित्त विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को रु. 1620.16 करोड़ के मुकाबले रु. 1710.80 करोड़ और शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को रु. 405.04 करोड़ के विरूद्व रु. 648.21 करोड़ हस्तांतरित किये गये।

3.16 इस अवधि में स्थानीय निकायों को हस्तांतरित विभिन्न अनुदानों का वर्षवार विवरण **तालिका संख्या 3.7** में दिया गया है :–

तालिका संख्या 3.7

पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण

राशि करोड़ रूपये में

पंचायती राज संस्थायें	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	कुल योग
मूलभूत अनुदान/ राज्य–योजनायें	216.24	236.50	223.13	270.00	330.00	1275.87
पंचा. राज संस्थाओं को हस्तांतरण (अन्य खर्च)	47.39	66.96	84.00	107.45	129.17	434.97
पंचा.राज संस्थाओं को सौंपे गये राजस्व सहित अनुदान	62.16	60.77	64.55	74.32	136.72	398.52
कुल योग	325.79	364.23	371.68	451.77	595.89	2109.36
शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय						
नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण (राज्य की	48.93	207.61	54.22	142.05	195.40	648.21

योजनाओं सहित)						
नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान (सौंपे गये राजस्व सहित)	521.73	498.45	444.00	686.43	694.76	2845.37
कुल योग	570.66	706.06	498.22	828.48	890.16	3493.58

यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य प्रवर्तित योजना के चार कार्यक्रमों हेतु जारी राशि जो पंचायती राज संस्थाओं के अन्तरण का भाग है, वह राशि कुल अन्तरण के 37% के समतुल्य है। इन संस्थाओं को दिया गया मूलभूत अनुदान लगभग 60% के समतुल्य हैं। राज्य सरकार ने अन्य खर्चों के लिये दिये गये अनुदानों को भी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि में जोड़ दिया है। पांच वर्षों की संदर्भ अवधि में यह राशि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लगभग रु. 434.97 करोड़ है। इस राशि में जिला पंचायतों को दिया गया सामान्य उद्देश्यीय अनुदान, पंचायतों के पदाधिकारियों का मानदेय, पंचायत सचिवों का वेतन, सर्वोत्तम पंचायतों का पुरस्कार तथा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, जिला पंचायत सम्मेलन एवं पंचायत गजट पर हुए खर्च के अलावा पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित अपरिभाषित अधिभार भी शामिल हैं। इन व्ययों में उन पंचायत अंकेक्षकों का वेतन भी शामिल है जो राज्य सरकार के कर्मचारी है। इस तरह राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित सभी व्ययों को उन्हें हस्तांतरित कोष मे जोड़ दिया है। यह तर्कसम्मत वर्गीकरण नहीं है। सामान्य अवधारणा यह है कि कोष का केवल उतना भाग पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण माना जाये, जिसका वे स्वयं उपयोग कर सके। जिला पंचायत सम्मेलन, पंचायत गजट पर हुए व्यय तथा पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित अन्य व्ययों को कोष का हस्तान्तरण नहीं माना जाना चाहिये।

3.17 शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कोष के हस्तांतरण के मामले में भी यही स्थिति है। यह बात विशेष रूप से कही गई है कि वित्त आयोग द्वारा दिये गये रु. 405.04 करोड़ के "अवार्ड" के मुकाबले में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को इस अवधि में रु. 648.21 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मूलभूत सेवा अनुदान के रूप में रु. 205.69 करोड़ की जो राशि उपलब्ध कराई गई है, वह कुल हस्तांतरण के 30% से भी कम है। रु. 340.91 करोड़ की सर्वाधिक राशि शहरी अधोसंरचना अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2007–08 में इस मद में कोई अनुदान नहीं दिया गया, इसके ठीक अगले वर्ष (2008–09)

इस मद में रु. 161 करोड़ दिये गये, लेकिन फिर अगले ही वर्ष अर्थात् 2009–10 में यह राशि घटकर केवल रु. 7.50 करोड़ रह गई। प्रतीत होता है कि यह अनुदान मांग और चयन के आधार पर दिया गया है, जबकि कोष हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि स्थानीय निकायों को हस्तांतरण इस तरह होना चाहिये ताकि वे अपने खर्चों की योजना बना सके। शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को जिस ढंग से कोष का हस्तांतरण किया गया है उससे स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। प्रवेश कर क्षतिपूर्ति, यात्री कर, अनुदानों, मनोरंजन शुल्क, एफ.एल. लायसेंस फीस सहित विभिन्न मदों में दिये गये अनुदानों की राशि लगभग रु. 2845.37 करोड़ है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित राशि की मात्रा रु. 3243.88 करोड़ है।

3.18 इस सन्दर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कोष हस्तांतरण की प्रविधि छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगरीय विकास नियम, 2003 में नियमबद्ध की गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को इस नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए कोष उपलब्ध कराना चाहिये। इस नियमावली में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधोसंरचना कोष के गठन और इस कोष में दो खाते खोलने का प्रावधान है। इनमें पहला खाता है, अन्तरण खाता और दूसरा है अधोसंरचना खाता। इस नियमावली में यह प्रावधान है कि मूलभूत सेवाओं के सुधार के लिये वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को अधोसंरचना खाते में हस्तांतरित किया जाये। अन्तरण खाता प्रमुख रूप से प्रवेश कर की राशि जमा किये जाने के लिये है। नगर पालिका निकायों को प्रवेश कर की इस राशि का भुगतान 1976 में चुंगीकर उन्मूलन के फलस्वरूप उन्हें हुई राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति के लिये किया जाता है, अतः इसे कोष का अन्तरण नहीं माना जाना चाहिये। यथार्थ यह है कि इस नियमावली में कोष के हस्तांतरण की जो रूपरेखा बताई गई है, उस पर नये सिरे से विचार किये जाने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के अवार्ड सहित सभी अनुदान जिस तरीके से दिये जाते हैं, उसके फलस्वरूप इन स्थानीय निकायों को अपनी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजना बनाने की क्षमता बहुत सीमित रह जाती है। भले ही शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिये राज्य सरकार के पास बहुतेरी योजनायें हों

मगर इन योजनाओं से इन निकायों को मूलभूत सेवायें प्रदान करने के लिये जितने वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती।

3.19 इन पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन स्थानीय निकायों को राज्य की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त संसाधनों सहित कुल मिलाकर जो वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किये गये है, वह राज्य के स्वयं के राजस्व का 5.2% राज्य के कुल राजस्व का 2.9% और राज्य के कुल वार्षिक व्यय का 2.7% है। वर्षवार विवरण निम्नलिखित **तालिका 3. 8** में प्रस्तुत है :–

तालिका 3.8

राज्य के स्वयं के राजस्व/कुल राजस्व/कुल व्यय में पंचायती राज्य संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायो को हस्तांतरित राशि का प्रतिशत (करोड़ रुपयों में)

		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 पुनरीक्षित
1.	स्वयं के राजस्व की प्राप्ति (कर + गैर कर)	7638.52	8795.93	10166.27	12840.46	15031.94
	पंचायती संस्था. को हस्ता %	4.3	4.1	3.7	3.5	4.0
	शहरी स्था. निकायों को हस्ता. %	7.5	8.0	4.9	6.5	5.9
2.	कुल राजस्व	13878.65	15662.76	18153.65	22719.54	27708.3
	पंचायती संस्था. को हस्ता. %	2.3	2.3	2.0	2.0	2.2
	शहरी स्था. निकायों को हस्ता. %	4.1	4.5	2.7	3.6	3.2
3.	कुल–व्यय	14472.91	17226.07	20910.44	22876.16	32747.46
	पंचायती संस्थाओं को हस्तांतरण %	2.3	2.1	1.8	2.0	1.8
	शहरी निकायों को हस्तांतरण %	3.9	4.1	2.4	3.6	2.7

3.20 पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों विशेषकर शहरी निकायों को कोष हस्तांतरित करने की प्रकृति संविधान के सुसंगत प्रावधानों की भावना के अनुरूप नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि इन स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित अन्तरण राशि से अधिक राशि की प्राप्ति हुई है परंतु जिस तरीके से उन्हें यह राशि उपलब्ध कराई गई है, उससे इन निकायों को स्व–शासन की इकाई के रूप में काम

करने की के लिये सक्षम बनाने के लिये पर्याप्त नहीं है। सरकार अपने तरीके और अपनी योजना के अनुसार उन्हें कोष उपलब्ध कराती है। सरकार से कोष का हस्तांतरण न तो सुनिश्चत होता है और न ही उनका अनुमान लगाया जा सकता है। अतएव ये निकाय न तो अधोसंरचना के विकास के लिये और न ही मूलभूत सेवा प्रदाय के सम्बन्ध में ठीक से योजनायें बना पाते हैं। देखा तो यहां तक गया है कि हिसाब–किताब में भी राज्य सरकार की सभी योजनाओं और मध्यान्ह भोजन जैसी केन्द्रीय योजनाओं की राशि को भी स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता माना जाता है तथा सभी खर्चों को अनुदान के मद में दर्ज किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में ऐसे सभी व्यय स्थानीय निकायों को "वित्तीय सहायता" के रूप में दर्ज किये जाते हैं। अधो प्रस्तुत **तालिका 3.9** में दिये गये आंकड़े वर्ष 2010–11 के लिये राज्य की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन आंकड़े हैं –

तालिका संख्या 3.9

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

मद	2006–07	2007–08	2008–9	2009–10	2010–11
पंचायती राज संस्था	769.82	955.14	1299.47	1520.71	1835.92
शहरी स्थानीय निकाय	544.84	618.15	737.26	577.71	905.50
संस्थानीय निकायों को कुल सहायता	1314.66	1573.29	2098.42	2098.42	2741.42
वर्ष के कुल व्यय का प्रतिशत	11%	11%	12%	10%	12%

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय निकायों को दी गई औसत "वित्तीय सहायता" राज्य सरकार के कुल व्यय के 10% से भी अधिक है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता के रूप में ये आंकड़े अतिरंजित तथा गुमराह करने वाले हैं। उपर्युक्त आंकड़ों में कतिपय करों में से सौंपे गये राजस्व की राशि, राज्य वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत राज्य के स्वयं के शुद्ध राजस्व में स्थानीय निकायों की अंश राशि, तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और साथ ही केन्द्र सरकार की कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि भी शामिल है। इन आंकड़ों में संविधान में 73 वां और 74 वां संशोधन होने के बाद सम्बन्धित विभागों द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की वित्त व्यवस्था के लिये उन विभागों द्वारा दी गई राशि भी शामिल है। इन कार्यों पर

व्यय वस्तुतः सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जा रहा है, अतएव किसी भी दशा में इस व्यय को पंचायती राज संस्था/नगरीय स्थानीय निकाय को दी गई "वित्तीय सहायता" नहीं माना जाना चाहिये। इसी तरह एजेंसी कार्य के लिये दी गई रकम को भी "अनुदान" नहीं माना जाना चाहिये।

3.21 अतः यह सलाह दी जाती है कि स्थानीय निकायों को प्रदत्त कोषों से सम्बन्धित लेखों के प्रस्तुतीकरण की विधि का नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के सहयोग से पुनरीक्षण किया जाये। पंचायत राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार उपलब्ध कराये गये कोष के बारे में इन लेखा पुस्तकों से स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिये। इस प्रकार की स्पष्ट जानकारी के अभाव में राज्य की वित्त व्यवस्था पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभाव का मूल्यांकन भावी राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में अलग से बजट पुस्तक रखी जाने लगी है मगर उनसे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। यथार्थ यह है कि ये पुस्तकें सम्बन्धित विभागों के विस्तृत बजट की सारांश मात्र हैं। इन पुस्तकों का जो वर्तमान् स्वरूप है, उसमें सौंपे गया राजस्व शामिल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इन पुस्तकों से स्थानीय निकायों को प्रदत्त सौंप गये राजस्व, राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय अन्तरण, योगदान कार्यक्रमों के तहत प्रदत्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दिया गया अनुदान, लाइन विभाग द्वारा हस्तांतरित कोष राशि जैसे सभी वर्गों के अनुदानों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। ऐसा होने पर ही उन प्रयोजनों की उपयोगिता सिद्ध होगी, जिन प्रयोजनों के लिये 13वें वित्त आयोग ने इन लेखा पुस्तकों के संधारण की अनुशंसा की है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

3.22 तेरहवें वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ को सामान्य मूलभूत अनुदान एवं सामान्य कार्य निष्पादन अनुदान के विभाजनीय कोष के 2.59% अंश तथा विशेष क्षेत्र

अनुदान के विभाजनीय कोष के 13.21% अंश के रूप में रु. 2267.29 करोड़ की राशि मिली थी। इस राशि में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों का भाग क्रमशः रु. 1814.28 करोड और रु. 453.02 करोड़ था। इसके साथ ही आपदा राहत कोष के लिये केन्द्रीय योगदान के रूप में रु. 674.11 करोड़ की राशि अलग से प्राप्त हुई। अनुदानों का वर्गवार विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है–

तालिका संख्या–3.10

छत्तीसगढ़ को 13 वें वित्त आयोग का अनुदान आबंटन

(राशि करोड़ रूपयों में)

		2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल योग
	स्थानीय निकाय						
1.	सामान्य मूलभूत अनुदान	194.4	225.4	263.4	312.2	369.6	1365.2
	(i) पंचायती राज	155.5	180.3	210.8	249.8	295.7	1092.2
	(ii) शहरी निकाय	38.9	45.1	52.7	62.4	73.9	273.0
2.	सामान्य कार्य निष्पादन अनु0	00	77.1	180.8	213.3	251.6	722.8
	(i) पंचायती राज संस्था	00	61.7	144.6	170.6	201.3	578.2
	(ii) शहरी निकाय	00	15.4	36.2	42.7	50.3	144.6
3.	कुल सामान्य अनुदान	194.4	302.5	444.3	525.5	621.2	2088.0
I	कुल अनुदानः पंचायतीराज	155.6	242.1	355.6	420.5	497.1	1670.9
II	कुल अनुदान शहरी निकाय	38.8	60.4	88.7	105.0	124.1	417.1
III	विशेष क्षेत्र अनुदान	21.1	31.6	42.2	42.2	42.2	179.3
	कुल अनुदानः स्थानीय निकाय	215.5	334.1	486.5	567.7	663.4	2267.3

स्त्रोतः 13 वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, परिशिष्ट 10.15

पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान

3.23 तेरहवें वित्त आयोग ने इस राज्य के पंचायत राज संस्थाओं को सामान्य मूलभूत तथा सामान्य कार्य निष्पादन अनुदानों के कुल विभाजनीय कोश का 2.65 % अंश प्रदान किया है। यद्यपि आयोग ने राज्य के द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये अपने अनुदान के आहरण के लिये किसी शर्त को पूरा किये जाने पर जोर नहीं दिया है परन्तु वर्ष 2011–12 और इसके आगे के वर्षों में सामान्य क्षेत्र अनुदान के आहरण के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा शर्तों

को पूरा किये जाने की शर्त लगा दी है। सामान्य क्षेत्र कार्य निष्पादन अनुदान के आहरण के लिये वित्त आयोग ने 9 शर्ते रखी है जिन्हें प्रत्येक राज्य को पूरा करना है। इन शर्तों में लेखा कर्म की समुचित रूप रेखा (फ्रेम वर्क) बनाना, एवं नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के मार्गदर्शन में लेखा परीक्षण तथा स्थानीय निकाय लोकपाल की नियुक्ति शामिल है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग के द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को पूरा करके अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है। तदनुसार भारत सरकार ने राज्य को वर्ष 2010–11 के लिये रु. 170.55 करोड़ और वर्ष 2011–12 के लिये रु. 308.42 करोड़ जारी किये। दोनों वर्षों के लिये दिये गये कुल रू. 478.97 करोड़ की अनुदान राशि को ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के मध्य 60:25:15 के अनुपात में दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस सूत्र के अनुसार राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को रु. 102.14 करोड़, जनपद पंचायतों को रु. 42.73 करोड़ और जिला पंचायतों को रु. 25.68 करोड़ जारी किये। बाद में वितरण का यह अनुपात बदल कर 70:20:10 कर दिया गया।

3.24 केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सामान्य क्षेत्र मूलभूत अनुदान तथा एग्रीगेट स्पेशल एरिया ग्रांट जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को क्षेत्र वार (30%) आबंटित किया गया तथा विस्तृत सूची जारी करके उन कार्यों का विस्तार से निरूपण किया गया, जो कार्य इस अनुदान राशि से विशिष्ट क्षेत्र में किये जा सकते हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित अनुदान (70%) से किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित किया गया।

नगरीय स्थानीय निकाय

3.25 तेरहवें वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को कुल रू. 453.02 करोड़ जिसमें सामान्य और मूलभूत अनुदान (रु. 417.10 करोड़) तथा विशेष क्षेत्र मूलभूत और कार्य निष्पादन अनुदान (रु. 35.10) प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह धन राशि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन बरसाती पानी निकासी, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा नगरीय प्रशासन के सभी पक्षों के बारे में डाटा बेस बनाने जैसे कार्यों पर व्यय किये जाने का निर्णय लिया। विभिन्न प्रकार के नगरीय स्थानीय निकायों को आबंटन का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है –

तालिका संख्या 3.11

13 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को कोष आबंटन

(करोड़ रू0 में)

	स्थानीय निकाय का प्रकार	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	बरसाती पानी निकासी	जल आपूर्ति	स्वच्छता	डाटा बेस	कुल योग
1.	नगर निगम	91.68	82.04	53.74	28.01	3.75	259.22
2.	13 न.पा.परिषद	10.18	27.14	36.82	2.40	3.25	79.79
3.	19 न.पा.परिषद	— —	—	—	—	—	10.65
4.	6 नगर पंचायतें	8.96	9.70	7.75	2.85	1.50	30.76
5.	120 नगर पंचायते	—	—	—	—	—	71.35
	कुल योग	—	—	—	—	—	451.77

आयोग ने विभिन्न प्रकार के नगरीय निकायों को आबंटन में भिन्नता महसूस की। नगर निगमों को 52.22% नगर पालिका परिषदों को 20.24% और नगर पंचायत को 22.54% आबंटन मिला। यह विभाजन वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन तीनों प्रकार के नगर निकायों की जनसंख्या पर आधारित है। नगर निगमों को रु. 259.22 करोड़ आबंटित किये गये। राज्य सरकार ने नगर पालिका परिषदों को रु. 91.69 करोड़ आबंटित किये जिसमें से रु. 79.79 करोड़ 13 नगर पालिका परिषदों को तथा शेष राशि अन्य नगर पालिका परिषदों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मशीनरी खरीदने के लिये आबंटित किये गये। इसी प्रकार नगर पंचायतों को रू. 120.11 करोड़ आबंटित किये गये। इसमें से रु. 30.76 करोड़ की राशि 6 नगर पंचायतों को और शेष राशि 120 अन्य नगर पंचायतों को ठोस अपशिष्ट मशीनरी खरीदने एव अन्य प्रयोजनों के लिये आबंटित की गई।

3.26 राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि के आबंटन के लिये जनसंख्या, मांग, विनियोग के सामर्थ्य तथा समाहित करने की क्षमता के आधार पर मापदण्ड का निर्धारण किया है। राज्य सरकार की धारणा है कि अनेक नगरीय निकायों में कोष का उपयोग करने की क्षमता नहीं है, अतः उसने इसी आधार पर आबंटन किया है। जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों को अन्यों के मुकाबले अधिक आबंटन प्राप्त हुआ है, क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि उन्हें अपनी अधोसंरचना सुधारने की अधिक जरूरत है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वित्त आयोग की जो अनौपचारिक चर्चा

हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि "उपयोग प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने पर ही जारी की जायेगी। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों की व्यय करने की क्षमता तथा समय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की क्षमता को एक मापदण्ड के रूप में स्वीकार किया है।

3.27 जहां तक स्थानीय निकायों को अनुदान का सम्बन्ध है, वित्त आयोग के दृष्टिकोण में समरूपता की आवश्यकता प्रतीत होती है। उदाहरण के तौर पर ग्यारहवें वित्त आयोग ने लेखा के संधारण एवं डाटा बैंक के गठन के लिये अनुदान का कुछ भाग निर्धारित किया था लेकिन बाद के आयोगों ने इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं किया। अतः एक आयोग की अधिनिर्णय अवधि समाप्त हो जाने के बाद इस किस्म की व्यय साध्य व्यवस्था को कायम रख पाना राज्य सरकारों के लिये कठिनाई का कारण बन जाता है। अतएवं यदि प्रत्येक केन्द्रीय आयोग कतिपय ऐसे "कोर क्षेत्रों" का चयन करे जिनके लिये स्थानीय निकायों को कुछ विशेष रूप से निर्धारित अनुदानों की आवश्यकता पड़ती है, तो बेहतर होगा। चौदहवें वित्त आयोग के विचार हेतु राज्य सरकार इसकी अनुशंसा कर सकती है।

♦ ♦ ♦